चोरी के लाखों की सम्पत्ति के साथ 4 युवक बंदी

कोसीर पुलिस व क्राईम ब्रांच की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 17 मई। कोसीर व क्राईम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कल पेट्रोलिंग के दौरान चार लोगों से चोरी की लाखों रूपये की संपत्ति बरामद की है। बिना नंबर वाली बाईक चालक से पूछताछ के दौरान इस चोरी का खुलासा हुआ।

कोसीर के ग्राम दहिदाके प्रदीप भारदाज पिता हेतराम 29 वर्ष के पास से बिना नम्बर मोटर सायकल सुजकी जिक्सर मिलने से गाडी का कागजात पेश करने मांग किया जो नही होना बताया पुछताछ मे तीन दिन पहले शिवरीनारायण से चार एलईडी टीवी चोरी करना तथा एक मोटरसायकल भी चोरी करना बताया साथ ही डबरा, जाजगीर से एक घर से सोना चांदी चोरी करना बताने पर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो किशन पिता तुलाराम खूंटे 19 वर्ष शिवाजी भारदाज पिता शिव प्रसाद 19 वर्ष निवासी दहिदा के साथ चोरी करना बताया आरोपी प्रदीप: भारदाजसे हायर स्पाइड कम्पनी का एलईडी 98 सीएम किमती 20 हजार, एक छोटा एलईडी एलजी कम्पनी का किमती 14 हजार, सोने का पत्तीनुमा हार 13 नग काला मोती लगा किमती 20 हजार रूपये, सोने का लटकन एक जोडी किमती 7 हजार चांदी का पायल किमती 10 हजार रूपये का तथा आरोपी किशन खुटे पिता तुलाराम से एक एलएडी टीवी फ्यूडेक कम्पनी का 121 सीएम का किमती 35 हजार का एंव आरोपी शिवाजी भारदाज पिता शिवप्रसाद से एक मर्फी कम्पनी का एलईडी 102 सीएम कीमती 20 हजार रूपये का जप्त कर आरोपी गणो को आज शाम 6 बजे इस्तगाशा धारा 41(1+4)/379 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही मे क्राइम ब्राच के पुष्पेन्द्र जाटवर, धनेश्वर उरांव आर भगवती, लछ्मे, विकास प्रधान का विशेष योगदान रहा।

पिता की टांगी मार हत्या, बंदी

रायगढ़, 17 मई। मामूली विवाद में एक कलयुगी पिता ने अपने एकलौते लड़के को टांगी से हमला कर उसकी निमर्म हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लैलूंगा के नहरपारा वार्ड नं 06 में रहने वाले जोधराम सारथी (50 साल) तथा बोधराम सारथी (48 वर्ष) दोनो भाई है, जिनका घर लैलूंगा नहर पारा वार्ड क्र0 06 में आगे-पीछे है। राजू सारथी उम्र 24 साल बोधराम सारथी का एकलौता पुत्र था। बोधराम साथी तथा उसकी पत्नी श्रीमति दशोदा सारथी आये दिन किसी न किसी बात को लेकर राजू को डांट फटकार करते राजू भी अपने माता पिता से झगड़ा विवाद करता था। कल 15 मई की रात्रि करीब 10 बजे बोधराम सारथी और राजू सारथी आपस में झगड़ा कर रहे थे जिन्हें शांत कराने राजू की मां श्रीमती दशोदा बाई उनके बीच गई तो राजू ने अपनी मां को धक्का दिया, इस बात से नाराज बोधराम सारथी ने टांगिया से राजू के गर्दन पर मारकर उसकी हत्या कर दिया। चिल्ला ने शोर होने पर बोधराम का भाई जोधराम और आसपास के लोग आये तो देखे राजू आंगन में मृत पड़ा था।

गर्मी ने ढाया कहर, 20 साल का रिकार्ड टूटा

शहर के अधिकांश वार्डो में पानी की समस्या बनी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 17 मई। गर्मी का पारा लगातार चढने के चलते रायगढ़ जिले में लोग खासे हलाकान है और इस बार गर्मी ने पिछले 20 सालों के रिकार्ड टूटते नजर आ रहें है और बीते तीन दिनों से पारा 46 डिग्री को भी पार कर चुका है साथ ही साथ तपन व झुलस से बचने के लिये लोग घरों में दुबके रहते है, सड़कें सुनसान हो चुकें है सर्वाधिक परेशानी पानी को लेकर हो रही है।

निगम पार्षद की मानें तो बढते उद्योगों के चलते पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है चूंकि रायगढ़ जिले में जो उद्योग की बाढ आई है उन उद्योगों ने पानी का बेतहाशा दोहन किया है। रेंन हार्वेस्टिंग जैसे नियमों की भी अनदेखी की है और इसीलिये नगर निगम के कई वार्डो में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। निगम पार्षदों दीपेश सोलंकी, संजय का कहना है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही भी खुलकर सामने आ रही है और शिकायत करने के बाद भी निचले वार्डो में पेयजल की आपूर्ति सही ढंग से नही की जा रही है, पर निगम आयुक्त विनोद पाण्डेय का कहना था कि नगर निगम के 48 वार्डो में पानी की समस्या को पूरी तरह दरकिनार करते हुए कहते है कि शहर के सभी वार्डो में पेयजल की आपूर्ति निरंतर की जा रही है और जहां समस्या आती है वहां का निराकरण भी तत्काल किया जाता है और तो और शहर के बस स्टैण्ड और कई महत्वपूर्ण स्थानों में प्लाउ की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में लोगों को पानी के लिये नही भटकना पड़े।

अमरजीत की जमानत अर्जी नामंजूर

महासमुन्द, 17 मई। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाअध्यक्ष अमरजीत चावला को कर आत्मसमर्पण के बाद महासमुन्द कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मालूम हो कि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरजीत चावला के कथित आडियो वायरल होने के बाद कुर्मी समाज ने पुलिस में श्री चावला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा पुलिस पर कुर्मी समाज द्वारा लगातार अमीरजीत चावला को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया था। लोकसुराज के लिए मुख्यमंत्री के आगमन के ठीक एक दिन पहले पुलिस ने सब को हैरान करते हुए 6 मई को सुबह 6 बजे अमरजीत चावला के निवास को चारों तरफ से घेर कर उन्हें गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश की थी। उनके फरार होने के बाद पुलिस ने 6 मई को ही श्री चावला के खिलाफ पुलिस कस्टडी से फरार बताते हुए उनके खिलाफ भादवि की धारा 224 का मामला दर्ज कर लिया था।

भारती ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़, 17 मई। गत दिनों राजनांदगांव सांसद कैंप कार्यालय जनदर्शन में अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश अध्यक्ष रामजी भारती ने ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया।

ग्राम पंचायत चंगुर्दा द्वारा विकास कार्य स्वीकृत करने, नवागांव निवासी रूपसिंह यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने, चमेली व परमेश्वरी द्वारा अपने आंखों के इलाज हेतु चिकित्सीय सुविधा व सहायता राशि दिलाने आवेदन दिया गया। श्री भारती ने तत्काल कार्यवाही करते हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास राजनांदगांव को चमेली व परमेश्वरी को दो- दो हजार रूपए देने एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव को दोनों के आंखों का नि:शुल्क इलाज हेतु निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार तेंदूपत्ता कार्यरत मजदूरों द्वारा नौकरी में पुन: लिए जाने के संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज राजनांदगांव को निर्देशित किया। तिलकराम निवासी पनियाजोब द्वारा छात्रवृत्ति

दिलाने, कमलेश चंदेल मुंदगांव द्वारा स्वेच्छानुदान के लिए मांग की गई, वहीं ग्राम पंचायत अउरदा सरपंच द्वारा सीसी रोड निर्माण एवं ग्राम सड़क बंजारी मोहन गोंड़ व अन्य तीन द्वारा उपादान राशि एवं पेंशन राशि दिलाए जाने की मांग, बधियाटोला डोंगरगढ़ निवासी खोरबाहरा सिन्हा व अन्य द्वारा मुआवजा राशि दिलाने आवेदन दिया गया। जिस पर कलेक्टर राजनांदगांव को परीक्षण कर मुआवजा राशि दिलाने पत्र व्यवहार किया गया।

ग्राम तेलीबांधा रामधीन कंवर द्वारा उपादान राशि, सरपंच ग्राम ठंडार द्वारा प्राधिकरण से राशि स्वीकृत करने, श्रीराम महंत गंडई द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने की मांग रखी गई। जिस पर शासन स्तर पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

उक्त अवसर पर ग्राम पंचायत चंगुर्दा सरपंच महेश कुमार मंडावी, नवागांव पूर्व मंडल अध्यक्ष रूपसिंह यादव, ग्राम पंचायत ठंडार से दिलीप डोंगरे, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल दास बंजारे, रंजीत चंदेल अध्यक्ष, सरपंच सहा. जनपद पंचायत छुईखदान व अरूण कुमार जोशी समाज सेवक आदि उपस्थित थे। कैंप कार्यालय में लगे जनदर्शन में जिला सहित आसपास क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में अपनी समस्या व मांग को लेकर पहुंचे थे।

नए न्यायाधीशों केलिए भेजे गए नाम पर अधिवक्ता परिषद ने किया विरोध

बिलासपुर 17 मई। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदोंपर नियुक्ति के लिए भेजे गए अधिवक्ताओं सुनील पिल्लई, आशीष श्रीवास्तव एवं अभिषेक सिन्हा के नाम को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद की बैठक में विरोध जताया गया है। उन्होंने इन नामों पर विचार नहीं करने की मांग राष्ट्रपति, सीजेआई, प्रधानमंत्री कार्यालय और केन्द्रीय विधि मंत्री से की है।

मालूम हो कि हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं के नाम भेजे हैं। इन नामों में आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक सिन्हा और सुनील पिल्लई का भी नाम शामिल है। लेकिन राज्य अधिवक्ता परिषद की बैठक में कहा गया कि सुनील पिल्लई का नाम राज्य विधिक परिषद् की नामावली में दर्ज नहीं है साथ ही वे हाईकोर्ट में सिर्फ 10 साल से ही अभ्यास कर रहे हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा व आशीष श्रीवास्तव के करीब रिश्तेदार छग हाईकोर्ट में में पदस्थ है, फिर भी इनके नामों को प्रस्तावित किया गया है। परिषद् ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के द्वारा भेजे इन नामों पर आपत्ति रखते हैं। उक्त प्रस्ताव से वर्षों से हाईकोर्ट अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भेजे गए नामों पर परिषद आपत्तिकरती हैं एवं भेजे गए नामों पर फिर से विचार करने का आग्रह करती है।

न्यायालय तहसीलदार डभरा जिला जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

रा.प्र.क्र. / / अ-2/2016

ग्राम-देवरघटा प.ह.न.07

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम पंचायत देवरघटा को सूचित किया जाता है कि ग्राम देवरघटा प.ह.न. 07 तहसील डभरा जिला जांजगीर-चांपा(छ.ग.) स्थित भूमि ख. नं. 244/11 रकबा 0.08 एकड़ भूमि स्वामी हक की भूमि को आवेदिका श्रीमती नौधाबाई पति श्री शिवप्रसाद जाति तेली निवासी ग्राम देवरघटा तहसील डभरा जिला जांजगीर चांपा के द्वारा आवासीय प्रायोजन के लिए व्यपवर्तन किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 01.06.2017 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में किए गए दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
डभरा
मुहर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./ /अ-6/वर्ष 2016-2017

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमति रिध्दी साहू पति तुलसीराम साहू निवासी ग्राम शिव नगर दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 734/23 रकबा 0.005 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमति रेखा देवांगन पति नरेन्द्र देवांगन निवासी ग्राम रायपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 17.4.17 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदिक भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.5.17 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.5.17 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

जारी दिनांक 12.5.17
पेशी दिनांक 29.5.17

मोहर तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

बाबा कश्मीरी वाले मजार में उर्स

डोंगरगढ़, 17 मई। नगर के वार्ड नं 1 में स्थित हजरत बाबा कश्मीरी वाले के दरबार में उर्स का आयोजन किया गया। दरगाह कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का उर्स पाक मनाया गया। उर्स के मौके पर कमेटी द्वारा 16 मई को आम लंगर रखा गया है, जिसमें नपा अध्यक्ष तरूण हत्थेल, उपाध्यक्ष शिव निषाद, साजिद खान, ने पहुंच लंगर को लाभ लिया और बाबा से देश के विकास के साथ ही समाज के उज्वल भविष्य की कामना की।

अपहृत व लापता बालक बालिकाओं को तलाशने अभियान जारी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़ 17 मई। अरसे से लापता एवं अपहृत बालक बालिकाओं की तलाश करने का विशेष अभियान कल 15 से 15 जून तक चलाया जा रहा है इस सिलसिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी.एन मीणा ने आज संबंधित थाना प्रभारियों, महिला बाल विकास, खेल एवं युवक कल्याण, श्रम विभाग, समाज कल्याण तथा चाइल्ड लाइन से जुड़े सर्व संबंधितों की बैठक आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संपन्न हुई। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद भैया महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल, जिला खेल अधिकारी प्रमोद सिंह बैस उपस्थित थे। बैठक में अपहृत बालक बालिकाओं के दस्तयाबी हेतु 55 सदस्यीय जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। जिले में अब तक के अपहृत/लापता बालक बालिकाओं की सूची स्थानीय पैरालीगल वालेंटियर्स, महिला एवं बाल विकास, श्रम समाज कल्याण विभाग को भी जानकारी साझा करते हुए दस्तयाबी किए जाने की रणनीति बनाई गयी। बैठक में निर्णय लिया गया अपने एवं लापता बालक बालिकाओं के ऐसे प्रकरण जिनकी 120 दिनों तक पतासाजी नहीं मिल पाती ऐसे प्रकरण अनुसंधान हेतु ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल को दिया जाए जिसका पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद भैया द्वारा किया जावेगा।

एक अपहृत युवक तारापुर में मिला

खरसिया के ग्राम सोण्डका में रहने वाले 25 वर्षीय युवक पप्पू तरूण कुमार सिदार उम्र करीब 25 वर्ष को कल 15 मई की शाम 04 बजे शाम अज्ञात चार व्यक्तियों ने बोलेरो वाहन में बिठाकर रायगढ़ की ओर ले आये जो थाना कोतरारोड़ अन्तर्गत ग्राम तारापुर के पुलिया के पास घायल अवस्था में मिला, आहत पप्पु उर्फ तरूण सिदार को के.जी.एच. रायगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य है।

घटना के संबंध में थाना खरसिया में अज्ञात चार व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू उर्फ तरूण कुमार सिदार ग्राम पण्डरीपानी के रामकुमार डनसेना के यहां ट्रेक्टर चलाने का काम करता था। कल 15 मई की शाम करीब 04 बजे पप्पू और रामकुमार डनसेना ग्राम सोण्डका के तालाब के पास थे जहां एक व्यक्ति उम्र करीब 25 साल का आया और पप्पू कौन है कहकर पूछा और बोला कि चलो साहब बुला रहे है तब पप्पू उस युवक के साथ गांव के बाहर खडे बोलेरो वाहन ओआर 23 9813 के पास गया जिसमें तीन युवक और थे जो पप्पू को गाडी में बिठाकर ले गये, शाम करीब 06= बजे पप्पू के पिता के मोबाईल पर कॉल आया कि पप्पू तारापुर पुलिया के पास पड़ा हुआ है तब रामकुमार डनसेना तारापुर जाकर देखा पप्पू उर्फ तरूण कुमार सिदार बेहोशी के हालत में पडा था हाथ पैर में चोंट के निशान थे, बोलेरो वाहन में आये चार अज्ञात व्यक्तियों पप्पु सिदार का अपहरण कर मारपीट कर घायल अवस्था में तारापुर पुलिया के पास छोड दिये थे जिये रामकुमार डनसेना च्त्र॥ रायगढ में भर्ती कराया। घटना के संबंध में बोलेरो वाहन तथा अज्ञात आरोपियों का पतासाजी किया जा रहा है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती गीता गुप्ता पति श्री सदानंद गुप्ता जाति तेली निवासी ग्राम सीतापुर तहसील सीतापुर के द्वारा अपने भू-स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिठवा तहसील सीतापुर जिला सरगुजा छ.ग. स्थित भूमि ख.न. 315/1 रकबा 0.263 हे. भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन किये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 31.05.2017 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति/दावा पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा द्वारा जारी।

स्थान-सीतापुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर सीतापुर, जिला सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार, पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. : अ/74 वर्ष 2016/17

आवेदक फगूतराम पिता जतीराम कमल ग्राम तेलासी तहसील पलारी

सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक फगतूराम पिता जतीराम कमल जाति बेल्दार ग्राम तेलासी रा.नि.मं. सण्डी तहसील पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा 13(3) के तहत अपनी दयाबती पति पल्टू कमल का मृत्यु दिनांक 31.12.2008 को ग्राम तेलासी में होना बताया गया है। जिसका पंजीयन भूलवश या अज्ञानता के कारण ग्राम सचिव/थाना पलारी के पास नही करा पाये है। इसलिए उक्त मृत्यु दिनांक पर पंजीयन ग्राम सचिव के पास कराये जाने का आदेश प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र नगर/ग्राम पंचायत के अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधिन है अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/आपत्ति प्रस्तुत किया जाना हो तो स्वत: इस न्यायालय में उपस्थित होकर या अपने अभिभाषक के माध्यम से नियत दिनांक 29.05.2017 को दावा आपत्ति कर सकते हैं। मियादि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 19.04.2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा पद मुद्रा के द्वारा ईश्तहार जारी किया गया।

मुहर नायब तहसीलदार
पलारी

न्यायालय श्री अजित चौबे नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./374/अ-6/वर्ष 2016-2017

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमति प्रीति मण्डावी पति एवन कुमार साकिन बोरसी के द्वारा ग्राम हनोदा प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 463/12 का टु. रकबा 2200 वर्गफुट हे. भूमि को विक्रेता खिलेन्द्र कुमार व अन्य से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 1.3.2017 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदिक भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.5.2017 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 8.5.2017 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मोहर नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

उन्नीस लापता बच्चे हुए बरामद

भिलाई नगर, 17 मई। गुमशुदा बच्चों को खोजने चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 19 लापता बच्चों को विभिन्न स्थानों से बरामद किया है। एएसपी राजेश अग्रवाल नाबालिग बालक-बालिकाओं को बरामद करने के लिए पुलिस द्वारा 15 मई से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के भिलाई नगर पुलिस ने 2, छावनी पुलिस ने 4, जामुल पुलिस ने 8, कुम्हारी पुलिस ने 1, अंडा पुलिस ने 1 और नंदिनी पुलिस ने 3 नाबालिग को विभिन्न स्थानों से बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा है।

(पेज 13 आगे)

शहर की सड़कों का इसी माह टेंडर, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

पूर्णकरने के बाद ठेकेदारों को जल्द से जल्द काम शुरू कराने का आदेश दें।

दस माह में कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो शहर कि बदहाल सड़कों पर एक्स डिफेंस आर्मी स्टाफ और रोटरी क्लब ट्रांस अरपा समेत अन्य ने जनहित याचिका लगाकर सड़कों को दुरूस्त करने और लोगों को परेशानियों से बचाने की मांग की थी। मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नगर निगम को शहर की 561 सड़कों के 30 करोड़ की निविदाएं प्रतिस्पर्धी नहीं आने के कारण निरस्त कर दिए थे।

(पेज 11 से आगे)

सील किए गए क्लीनिक-पैथोलॉजी...

तथा अवैध तरीके से संचालित सेंटरों पर त्वरित कार्यवाही की जानी है लेकिन जो संचालक चोरी छिपे जाँच कर मरीजों के रिपोर्ट दे रहे हैं इस पर भी प्रशासन की टीम को जाँच कर कार्यवाही करने की जरूरत है।

दूसरे धंधे की आड़ में चल रहा जांच व उपचार

प्रशासन की कार्यवाही के बाद भले ही फर्जी क्लीनिक व अन्य जांच सेंटर बंद कर दिये गये है लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचलों में जांच ठण्डे बस्ते में होने के कारण कई संचालकों के द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है तथा कई झोलाछाप चिकित्सक लोगों का उपचार भी कर रहे है। वही कई तो दूसरे धंधे की आडी में लोगों की जांच व उपचार कार्य कर रहे है। क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी है कि फला के द्वारा जांच उपचार किया जाता है जिस वजह से लोग उनके पास पहुँच रहे हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। जिला मुख्यालय भी इससे अछूता नहीं है।

मरीज को 12 लाख हर्जाना देने का आदेश

डॉ राजकृष्ण शर्मा द्वारा आपरेशन के पूर्व आवश्यक जांच एफएनएसी बायोप्सी तथा सीए-125 ब्लड टेस्ट आदि की जांच भी नही कराया गया, जो आपरेशन के पूर्व आवश्यक रूप से केंसर मार्कर की जांच की जानी थी तथा डॉ शर्मा द्वारा बायोप्सी के संबंध में उचित पैथोलाजी भी जांच हेतु नही भेजी गई और डॉ अजय शेष पैथालाजिस्ट कोरबा द्वारा मरीज की स्लाइड सुरक्षित नही रखा गया, को भी सेवा में कमी माना तथा परिवादीगण के परिवाद को पूर्णतया साबित मानते हुए विषयांकित डाक्टरों द्वारा मरीज के ईलाज में उपेक्षा बरती गई जो कि चिकित्सकीय उपेक्षा की परिधि में आता है। फलस्वरूप डॉ राजकृष्ण शर्मा एवं संचालक मेट्रो हास्पिटल रायगढ़ को संयुक्त रूप से 9 लाख रूपये एवं डॉ अजय शेष पैथालाजिस्ट कोरबा को 3 लाख रूपये कुल 12 लाख रूपये हर्जाने 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आवेदकगण को अदा करने का आदेश पारित किया गया साथ में वाद व्यय 15000 रूपये भी अनावेदकगण परिवादीगण को अदा करने हेतु आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में परिवादी चंद्रभूषण मिश्रा द्वारा स्वयं एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश शर्मा बिलासपुर द्वारा पैरवी की गई। आयोग के आदेश के बाद परिवादगण द्वारा चिकित्सकों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने के संबंध में उचित न्यायालयीन कार्यवाही करने की बात कही गई है।

सिम्स से लौटी रिकेट्स पीड़िता

बीमारियों का नि:शुल्क उपचार किया जाना है जिसके लिए चिरायु के नोडल अधिकारी को सही मार्गदर्शन देना चाहिए लेकिन उनके द्वारा पीड़ित परिवार को सही जानकारी देना तक उचित नहीं समझा। जबकि उन्होंने शुरू में ही यह दावा कर रहे थे कि बच्ची के हर संभव इलाज कराया जायेगा लेकिन एक स्थान पर लाने के बाद ही उनके दावे की पोल खुल गयी।

बालिका छात्रावास में पुरूषों की उपस्थिति, अधीक्षिका को बर्खास्त करने के निर्देश

पुरूषों की उपस्थिति की शिकायत पाये जाने पर संबंधित अधीक्षिकाओं पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने लुण्ड्रा जनपद के ग्राम पंचायत रवई के सचिव द्वारा अपात्रों को पीएम आवास स्वीकृत करने तथा अम्बिकापुर जनपद के ग्राम पंचायत मुड़ेसा के सचिव द्वारा पेंशन भुगतान नहीं करने पर दोनों सचिवों को निलंबित करने की कार्रवाई के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिये।

सभी ग्रामों में रेडियो की उपलब्धता-कलेक्टर भीम सिंह ने जिले के सभी 579 ग्रामों में रमन के गोठ श्रवण हेतु एक-एक नग रेडियो उपलब्ध कराने के निर्देश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये। कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रत्येक ग्राम पंचायत की मूलभूत जानकारियों तैयार की गई है। उन्होंने डीएलसी के अधिकारियों से क्षेत्र भ्रमण के दौरान इन मूलभूत जानकारियों के आधार पर गांवों का निरीक्षण करने निर्देशित किया है।

कार्यालय, नगर पंचायत शिवरीनारायण जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

रूचि की अभिव्यक्ति

क्रमांक / 154 / रूचि अभि./ न.पं.शि. / 2017-18 — शिवरीनारायण, दिनांक 15.05.17

नगर पंचायत शिवरीनारायण अन्तर्गत निम्नांकित सामग्री प्रदाय हेतु प्रदायकर्ता / निर्माता जो निर्धारित शर्तों की अर्हता रखते हो तो रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) पंजीकृत डाक से बन्द लिफाफे में दिनांक 05.06.2017 को आपरान्ह 03.00 बजे तक पूर्ण विवरण वांछित दस्तावेज एवं कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि 10,000.00 रु. एफडीआर (जो नगर पंचायत शिवरीनारायण के नाम से देय हो) सहित आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव बन्द लिफाफा दिनांक 07.06.2017 को दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	संख्या	अनुमानित लागत
01	शिवरीनारायण निकाय क्षेत्र में खेल कुद सामग्री, जिम सामग्री, ब्रेंच, डेकोरेटिव डस्टबीन प्रदाय एवं स्थापना कार्य (पार्षद / निकाय मद)	आवश्यकतानुसार	10.00 लाख

उपरोक्त कार्य से संबंधित विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पंचायत शिवरीनारायण के भण्डार शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत शिवरीनारायण
जिला-जांजगीर चाम्पा छ.ग.